



कार्यालय महाप्रबन्धक (कार्मिक), पूर्वोत्तर रेलवे/गोरखपुर -273012
Office of the General Manager (P), N. E. Railway Gorakhpur-273012

कमांक-43

आर.बी.ई. सं.-45/2022

मिसिल संख्या ई/255/2/भाग-IV/IV

दिनांक 28-04-2022

सचिव/महाप्रबन्धक

सचिव/अपर महाप्रबन्धक

सभी विभागाध्यक्ष

सभी मण्डल रेल प्रबन्धक

सभी कार्मिक अधिकारी

सभी मुख्य कारखाना प्रबन्धक

सभी अतिरिक्त मण्डलाधिकारी/स्थापना

विषय :- Clarification regarding instructions on exemption from passing the
Typewriting in respect to Clerk-cum-Typist.

रेलवे बोर्ड का पत्र सं. E(NG)I-2015/CFP/7 (RBE No. 45/2022) Dated 07-04-2022 की
प्रतिलिपि सूचना, मार्ग दर्शन एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।
संलग्नक/यथोपरि

अ.रु.

28/04/2022

(अनिरुद्ध कुमार)

सकाधि/मुख्या.-II

कृते महाप्रबन्धक/कार्मिक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1) महामंत्री/एन.ई. रेलवे मजदूर यूनियन/गोरखपुर।
- 2) महामंत्री/प्रमोटी अधिकारी संघ/पूर्वोत्तर रेलवे/गोरखपुर।
- 3) पूर्वोत्तर रेलवे प्रथम श्रेणी अधिकारी संघ/गोरखपुर।
- 4) महामंत्री/एस.सी./एस.टी. एवं ओबीसी एशोसियेशन/गोरखपुर।

अ.रु.

28/04/2022

कृते महाप्रबन्धक/कार्मिक

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड/RAILWAY BOARD)

आरबीई सं. 45/2022
नई दिल्ली, दिनांक:07.04.2022

सं. ई(एनजी)I-2015/सीएफपी/7

महाप्रबंधक (कार्मिक)

सभी क्षेत्रीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां,
(मानक डाक सूची अनुसार)


विषय: लिपिक सह टाइपिस्ट के संबंध में टाइपराइटिंग को पास करने से रूट पर अनुदेशों से संबंधित स्पष्टीकरण

- संदर्भ: 1. बोर्ड का दिनांक 07.04.2000 का पत्र सं. ई(एनजी)I-96/सीएफपी/19 (आरबीई सं. 66/2000)
2. बोर्ड का दिनांक 16.01.2017 का पत्र सं. ई(एनजी)I-2015/सीएफपी/7 (आरबीई सं. 02/2017)
3. कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग का दिनांक 22.04.2015 का कार्यालय ज्ञापन सं. 14020/1/2014-

एक क्षेत्रीय रेल द्वारा रेलवे बोर्ड के दिनांक 07.04.2000 के पत्र सं.ई(एनजी)I/96/सीएफपी/19 में निहित अनुदेशों के बारे में स्पष्टीकरण मांगा गया है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ अनुसचिवीय संवर्ग में 33 $\frac{1}{3}$ % कोटे में लेवल-1 से लेवल-2 पद पर पदोन्नत कर्मचारियों का प्रत्यावर्तन करने का प्रावधान है, यदि उनके द्वारा निर्धारित संख्या के अवसरों और समय अवधि के भीतर टाइपिंग परीक्षा में अर्हता प्राप्त नहीं की जाती।

इस मामले की जाँच करवाई गई है और यह स्पष्ट किया जाता है कि बोर्ड के दिनांक 16.01.2017 के पत्र संख्या ई(एनजी)I-2015/सीएफपी/7 में निहित अनुदेशों को देखते हुए उपर्युक्त पैरा-1 में उद्धृत दिनांक 07-04-2000 के अनुदेशों में निहित अनुसचिवीय संवर्ग में 33 $\frac{1}{3}$ % कोटे पर पदोन्नत कर्मचारियों के प्रत्यावर्तन के संबंध में प्रावधान अब लागू नहीं है।

इससे उत्तर पश्चिम रेलवे के दिनांक 24.02.2022 के पत्र संख्या 880ई/एचक्यू/क्लर्क/टाइपटेस्ट/वोल.॥ का निपटान हो जाता है।


(संजय कुमार)

उपनिदेशक स्था.(एन)

रेलवे बोर्ड

टेलीफोन नं. 23303658

Please Issue
11/04/22

RBE No. 45/2022

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड/RAILWAY BOARD)

No. E(NG)I-2015/CFP/7

New Delhi, dated 07.04.2022

The General Managers (P)
All Zonal Railways & PUs
(as per standard mailing list)

Sub: Clarification regarding instructions on exemption from passing the Typewriting in respect to Clerk-cum-Typist.


- Ref.: 1. Board's letter No E(NG)I-96/CFP/19 dated 07.04.2000 (RBE No.66/2000)
2. Board's letter No.E(NG)I-2015/CFP/7 dated 16.01.2017 (RBE No 02/2017)
3. DoPT's O.M. No.14020/1/2014-Estt.(D) dated 22.04.2015

One of the Zonal Railways has sought clarification as to whether the instructions contained in Railway Board's letter No.E(NG)I/96/CFP/19 dated 07.04.2000 which inter alia provides for reversion of employees promoted from L-1 to L-2 posts against the 33&1/3% quota in the Ministerial Cadre, if they do not qualify in the typing test within the stipulated number of chances and time period is still in vogue.

The matter has been examined and it is clarified that in the light of instructions contained in Board's letter No.E(NG)I-2015/CFP/7 dated 16.01.2017, the provision regarding reversion of the employees promoted against the 33&1/3% quota in the ministerial cadre as contained in the instructions dated 07.04.2000 cited in para-1 above, is no longer in vogue.

This disposes off North Western Railway's letter No.880-E/HQ/Clerk/Type Test/Vol.II dated 24.02.2022.

11/04/22


(Sanjay Kumar)
Deputy Director Estt.(N)
Railway Board
Tele No. 23303658
07/04/22

o/c

तीसरा तल, कमरा नं. 359-A, रेल भवन, नई दिल्ली-110001, ई-मेल sanjay.kumar6@gov.in

3rd Floor, Room No.359-A, Rail Bhawan, New Delhi-110001, E-mail sanjay.kumar6@gov.in